

10



Rs. 15/-

न्यायालय-माननीय राजस्व मण्डल म.पं. ग्वालियर

रिक्व 163- I/09

पं.कं. 0

-1/09 पुनर्विलोकन

श्री श्री. पी. सिंह - ए.स.के. द्वारा आज दि. 10-2-09 को प्रस्तुत।

महेन्द्र सिंह पुत्र महाराजा सिंह किरार निवासी ग्राम सालौन ११वीं तहसील भाण्डेर जिला दतिया ---आवेदक.

बनाम

सुमान सिंह ठाकुर पुत्र रामकृष्ण किरार निवासी ग्राम सालौन ११वीं तहसील भाण्डेर जिला दतिया ----

हाल निवासी :

अतिरिक्त मुख्य अभियंता सतपुडा धर्मल पावर म.पं. विद्युत मण्डल सारनी जिला वैतूल म.पं. -----अनावेदक.

अ.स.के. म.पं. ग्वालियर 10/2/09

ओ.पी. सिंह

ए.स.के. म.पं. ग्वालियर

पुनर्विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा-51 म.पं.भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेशा प्रशासकीय सक्षय श्री एस. सी. वर्धन राजस्व मण्डल म.पं. ग्वालियर जो कि पं.कं. 623-दो/06 में दिनांक 23.1.09 को पारित किया गया।

माननीय,

आवेदक का पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र निम्न प्रकार पेश है प्रकरण के तथ्य:

संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे न. 728, 1365 व 1432 कुल किता-3 रकबा 0.55 हेक्टर अनावेदक के स्वत्व, स्वामित्व की होकर, उस पर आवेदक का विगत 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। वह भूमि स्वामी स्वत्व अर्जित कर चुका है। प्रशासकीय अभिलेख में अंकित किया जावे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक रिव्यु 163-एक/2009 जिला-दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमा आदि के हस्ताक्षर
01-04-19	<p>आवेदक की ओर से श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित नहीं। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये। रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत मेमो के आधार पर निराकरण किया जा रहा है।</p> <p>2- यह रिव्यु आवेदन-पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 623-दो/2006 में पारित आदेश दिनांक 23.01.09 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण क्रमांक रिव्यु 163-एक/2009 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।</p> <p>3-आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 623-एक/2009 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 23.01.09 से किया जा चुका है।</p> <p>4-प्रकरण में प्रकरण क्रमांक रिव्यु 163-एक/2009 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है</p> <p>अ- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस</p>	

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 163-एक/2009


//2//

समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स- कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्रह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।


सदस्य

M